तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जा...
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा दुर्गा लाल बनाम नाथुलाल तेली 20-2-18 सिवि-वाद नं०-44/17	

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारे है//अन्य राजकार्य ... / आ. अवकाश पत्रावली साविक आदेश ... को पेश हो।

10-4-18

आज्ञा से
पेशकार

10.04.2018

पत्रावली पैश हुई । उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 08 की और से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसकी द्वितीय प्रति वादी अधिवक्ता को दिलवायी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी को पूर्व में वादी द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 03 व 151 जा.दी. की द्वितीय प्रति दिलवाये जाने पर उनके द्वारा इस पर ऐतराज/उजर व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित वादीगण संख्या 06 के श्रीमति सोनिया पुत्री रामा तेली विगत् 5 वर्ष पूर्व ही फौत हो चुकी है, और यह वादपत्र वादी द्वारा हाल ही में दिनांक 19.07.2017 को पैश किया गया है, यानि मृतक सोनिया पुत्री रामा तेली को वादीया संख्या 06 के स्थान संयोजित कर, न्यायालय श्रीमान को अन्धेरे में रखते हुए, वादीगण ने यह वादपत्र कानूनन दृष्टि से दोषयुक्त प्रस्तुत किया गया है, जो कत्ई श्रीमान न्यायालय में चलने योग्न नही होकर, सव्यय काबिले खारिजी योग्य है। इस पर वादीगण के अधिवक्ता से इसका स्पष्टीकरण लिये जाने हेतु कहे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रंद प्रत्युत्तर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के कहे तर्को के खण्डन में जाहिर नही किया गया। उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन व परिक्षण किया गया। वादपत्र में विपक्षी द्वारा अवगत कराई गई कथित त्रूटी पत्रावली को देखने से सिद्ध होती है, एंव इस प्रकार की गलती का पुष्टीकरण वादी के अधिवक्ता ने भी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 03 व 151 जा.दी. के प्रस्तुत कर, कर दिया है, जो कत्ई क्षम्य योग्य नही है।

अतः वादीगण का वादपत्र, दोषयुक्त/त्रूटीपूर्ण प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी